नम्बर ... अहलकाम ... हुक्म की ता... में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 7A / 21

GCMS id : 2014 / 00156

1. देवलाल आत्मज गोपाल उर्फ कृष्णगोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. सचिव, नगर विकास न्यास, नगर निगम, कोटा
3. श्रीमान उप पंजीयक, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी
एवं अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3(2) सीपीसी

दिनांक : 21.10.2021

उपस्थिति : श्री कुलदीप सिंह, अभिभाषक वादी
श्री रामकल्याण, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम–2

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

निर्णय

$O_{22}R_3$ CPC & $O_{22}R_{3(2)}$ CPC

1- प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत अबेट किये जाने वाद एवं वादी की ओर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत बनाये जाने कायम मुकाम वादी, न्यायालय हाजा में पेश किया गया।

2- ◆ प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से दिनांक 01.09.2021 को जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3(2) सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि वादी देवलाल की मृत्यु दिनांक 10.03.2021 को हो चुकी है। वादी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मृतक के वारिसान द्वारा 90 दिन की अवधि में कायम मुकाम बनाये जाने का प्रार्थन पत्र पेश नहीं किया है। इस कारण अब वाद अबेट हो चुका है तथा खारिज होने योग्य है। अतः विचाराधीन वाद सव्यय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा देवलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति तथा जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी की नकलें पेश की गई है।

◆ वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 27.09.2021 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वादी देवलाल का स्वर्गवास होना स्वीकार है। चूंकि वादी देवलाल की मृत्यु के समय सम्पूर्ण भारत में व राजस्थान राज्य में भी कोरोना वायरस का भयावह प्रभाव रहा था जिसके कारण न्यायालयों में तारीख पेशियॉ नोटिस बोर्ड पर ही चस्पा की जाती थी और पक्षकारों की आवाजाही पर रोक थी। इसके विशेष कथन में निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र किस प्रावधान के अन्तर्गत पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र पर पक्षकारान के हस्ताक्षर न होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

2074 की नकल साथ में संलग्न है।

होने से भी प्रार्थना पत्र विधि अनुसार नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वादी देवलाल के वारिसान द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र वास्ते बनाये जाने कायम मुकाम माननीय न्यायालय के समक्ष उसी दिनांक को ही प्रस्तुत कर दिया था। साथ ही प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र व धारा 5 अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें विद्यमान परिस्थितियों का स्पष्ट कारण अंकित किया हुआ है। वादपत्र प्राथमिक स्टेज पर है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण को अपने साक्ष्य, दस्तावेज पेश करना तथा अपने अधिकारों का निर्धारण करवाना शेष है। अतः प्रार्थना पत्र वास्ते अबेट किये जाने वादपत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाते हुये वादी देवलाल के वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने के आदेश प्रदान करें।

3- ▪ वादी अभिभाषक द्वारा दिनांक 01.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि वादपत्र के विचारण के दौरान प्रार्थी देवलाल की दिनांक 19.03.2021 को मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिसान निम्नलिखित है –

1. काली बाई पत्नी स्व. देवलाल

2–7. मोहन, बनवारी, महेन्द्र, जुगराज, ओमप्रकाश पुत्रान स्व. देवलाल

8–9. लटुरी बाई, गंगा बाई पुत्रियाँ स्व. देवलाल

मृतक देवलाल के उपरोक्त के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। प्रार्थी देवलाल की मृत्यु होने के उपरान्त प्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2021 को मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तत्समय कोरोना वायरस का पूर्ण प्रभाव रहने तथा प्रार्थीगण अपने पिता की मृत्यु के बाद शोकमग्न रहने से प्रार्थीगण अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके और कोरोना काल का प्रभाव रहने के दौरान न्यायालयों में तारीख पेशी बाहर ही चस्पा की जाती रही है। इस कारण प्रार्थीगण, विधि प्रावधानों के अनुसार कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र न्यायालय में अवधि मध्य पेश नहीं कर सके। कोरोना वायरस का प्रभाव कम होने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रकरण अभी प्राथमिक स्तर पर है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अपने दस्तावेजी साक्ष्य आदि पेश कर अपने कथनों को प्रमाणित करवाया जाना है। यदि इस स्तर पर प्राथीगण को कायम मुकाम नहीं बनाया जाकर प्रार्थना पत्र को अवधि बाधित मानते हुये खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा और प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त नहीं हो सकेगा।

▪ प्रतिवादी क्रम–2 की ओर से जवाब प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा जान बूझकर देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण का जवाब दावा एवं दस्तावेजात पेश किया जा चुका है। प्रकरण के खारिज कर दिये जाने से वादी को कोई क्षति पहुंचने की संभावना नहीं है। साथ ही विशेष कथन में निवेदन किया गया कि देवलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को होना बताया गया है तथा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र 90 दिन की अवधि में पेश नहीं कर करीब 160 दिन बाद पेश किया गया है जो अवधि बाहर होने से निरस्तनीय है। मृतक के वारिसान द्वारा वाद को अबेट से मुक्त कराये जाने का अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण भी आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः वादपत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

4- उपरोक्त प्रार्थना पत्रों के जवाब पेश होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई –

22.3|2|CPC

सहायक कलक्टर Devlal Sarkar
(मुख्यालय) कोटा

वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी देवलाल की दिनांक 19.03.2021 को मृत्यु हो गई है, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के वारिसान को दिनांक 08.04.2021 को प्राप्त हुआ। इसके बाद कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लग जाने, प्रकरणों की आगामी पेशी बाहर ही चस्पा कर देने के कारण वादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश नहीं किया जा सका था। कोरोना का प्रभाव कम हो जाने पर वादी द्वारा नियमानुसार कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। इस अवधि की छूट के लिये वादी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पृथक से पेश कर दिया गया है। वादी के प्रार्थना पत्र को अवधि बाधित मानकर इस स्तर पर दावा खारिज किये जाने से वादी के वारिसान को अपूरणीय क्षति होगी। अतः वादी की मृत्यु के बावजूद प्रकरण में निहित हित शेष रहने के कारण वादी के विधिक वारिसान को कायम मुकाम बनाये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रतिवादी क्रम–2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी की दिनांक 19.03.2021 को मृत्यु हो चुकी थी। वादी की मृत्यु के 90 दिन तक उसके वारिसान द्वारा कायम मुकाम बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण आदेश 22 नियम 3(2) सीपीसी के अनुसार वादी का वाद अबेट हो चुका है। साथ ही वादी द्वारा अबेट से मुक्त कराये जाने का अलग से कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया है। अतः निर्धारित समय सीमा में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण वाद वादी खारिज किया जावे।

5- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के अन्तर्गत (मुख्यतः) वादी की मृत्यु होने तथा वाद लाने का अधिकार बचा रहने की स्थिति में उसके विधिक वारिसान रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण की कार्यवाही आगे बढाने सम्बन्धी प्रावधान निर्धारित है। आदेश 22 सीपीसी के अन्तर्गत किसी विचाराधीन प्रकरण के एक या अधिक वादी अथवा प्रतिवादी में से किसी की मृत्यु हो जाने तथा वादाधिकार (Right to sue) समाप्त नहीं होने की स्थिति में मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर आगे की समस्त कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। ऐसी स्थिति में मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के लिये परिसीमा में विधिक प्रक्रिया निर्धारित है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 120 तथा 121 ऐसे मामलों में लागू होते है –

(1) अनुच्छेद 120 के अनुसार, संहिता के अधीन मृत वादी के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिये आवेदन करने के लिये परिसीमा की अवधि "नब्बे दिन" है, जो वादी की मृत्यु की दिनांक से आरम्भ होती है।

(2) अनुच्छेद 121 के अनुसार, संहिता के अधीन उपशमन को अपास्त कराने के लिये आवेदन उपशमन की दिनांक से "साठ दिन" के भीतर किया जा सकता है।

इस प्रकार विधिक प्रतिनिधि/यों को प्रतिस्थापित किये जाने के लिये परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 120 लागू होता है। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में देखा जाय तो वादी और प्रतिवादी की ओर से पेश, वादी के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार, वादी की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में वादी की मृत्यु के 90 दिन के भीतर वादी के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के लिये दिनांक 18.06.2021 अथवा इससे पूर्व न्यायालय में आवेदन/प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिये था। ज्ञातव्य है कि मृत्यु के 90 दिन के भीतर कोई आवेदन नहीं देने से वादी का दावा उपशमित हो गया, जिसे अपास्त करने के लिये अनुच्छेद 121 के अधीन उपशमन तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर आवेदन किया जा सकता था, जो कि उनके द्वारा (वादी की मृत्यु के 165 दिन बाद) दिनांक 01.09.2021 को पेश किया

सहायक कलक्टर Devilal Sarkar
(न्यायालय) कोटा

या। अतः वादी के वारिसान की उपेक्षा के कारण उपशमन अपास्त नहीं किया जा सकता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3(2) के अनुसार जहाँ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है, वहां वाद का उपशमन वहाँ तक हो जायेगा जहाँ तक मृत वादी का सम्बन्ध है। प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से हम पाते है कि वादी द्वारा विवादित आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिये जाने से वादी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर राज्यहित में पुनर्ग्रहित किया गया तथा विवादित आराजी वर्तमान में प्रतिवादी क्रम–2 (नगर विकास न्यास, कोटा) के नाम दर्ज है। वादी द्वारा यह प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188, 92ए, 209 के अन्तर्गत पेश किया गया है। इसमें जवाब दावा प्राप्त हो चुका है किन्तु तनकीयात कायम नहीं हुये है। अर्थात अभी तक वादाधिकार बकाया है।

7- वादी की मृत्यु उपरान्त उसके कायम मुकाम बनाये जाने के लिये विधि सम्मत तरीके से पेश किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के विलम्ब का कारण कोरोना वायरस का प्रभाव बताया गया है। अब तक के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को हो चुकी थी। इसके बाद दिनांक 24.03.2021 को न्यायालय में प्रकरण की पेशी नियत थी, तब भी वादी की मृत्यु सम्बन्धी कोई जानकारी न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाई गई। इसके उपरान्त प्रकरण की नियत पेशी 28.04.2021, 25.05.2021 एवं 09.03.2021 को कोराना वायरस का प्रभाव होने से न्यायालय के प्रकरणों में उपस्थति प्रतिबन्धित रही थी तथा कोरोना का प्रभाव कम होने व लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी प्रकरण में दिनांक 06.07.2021 एवं 12.08.2021 की पेशी नियत रही है। इन पेशी तिथियों को भी वादी की ओर से न तो वादी की मृत्यु की सूचना दी गई और ना ही वादी के विधिक कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने का कोई आवेदन आदि पेश किया गया। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम का उल्लंघन करने तथा कायम मुकाम प्रार्थन पत्र पेश करने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में बताये गये कारण तार्किक और विधिसंगत प्रतीत नहीं होते है। अतः वादी की मृत्यु उपरान्त प्रकरण का वादाधिकार (Right to sue) अभी शेष रहने के बावजूद भी, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की निर्धारित अवधि 90 दिन के समाप्त हो जाने तथा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर भी मृतक वादी के कायम मुकाम बनाये जाने का कोई भी आवेदन/प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण वाद वादी अबेट हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7- यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 21.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1. देवलाल आत्मज गोपाल उर्फ कृष्णगोपाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कादीहेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादी)

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. सचिव, नगर विकास न्यास, नगर निगम, कोटा
3. श्रीमान उप पंजीयक, कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88-89-188-92A-209 RTA
मुकदमा नम्बर : 7A / 21
निर्णय दिनांक : 21-10-2021

GCMS id : 2017 / 00119

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह तथा प्रतिवादी क्रम–2 के अभिभाषक की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी एवं आदेश 22 नियम 3(2) की बहस सुनने के बाद आज तारीख 21–10–2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी सुश्री पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वादी की मृत्यु उपरान्त प्रकरण का वादाधिकार (Right to sue) अभी शेष रहने के बावजूद भी, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की निर्धारित अवधि 90 दिन के समाप्त हो जाने तथा अधिनियम के अनुच्छेद 121 के अनुसार 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर भी मृतक वादी के कायम मुकाम बनाये जाने का कोई भी आवेदन/प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण वाद वादी अबेट हो जाने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा आज तारीख 21 अक्टूबर, 2021 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

	वादी	रुपया		प्रतिवादी	रुपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शी के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रुपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	